

7/11/22

अधिवक्तागण उपस्थित। रिपोर्ट TDR KPR प्राप्त नहीं। पत्र लिखा जाते। पत्रावली वास्ते इन्तजार रिपोर्ट दिनांक 16/11/22 को पेश हो

16/11/22

अधिवक्तागण उपस्थित। रिपोर्ट TDR KPR प्राप्त नहीं। पत्रावली वास्ते इन्तजार रिपोर्ट दिनांक 7/12/22 को पेश हो

07/12/22

अधिवक्तागण उपस्थित रिपोर्ट TDR KPR प्राप्त नहीं। पत्रावली वास्ते इन्तजार रिपोर्ट दिनांक 11/01/23 को पेश हो।

11/01/23

अधिवक्तागण उपस्थित। रिपोर्ट TDR KPR प्राप्त हुई। सामिल मिश्रल की गई। बरस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16/01/2023 को पेश हो

16/01/23

अधिवक्तागण उपस्थित। निम्न अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। तहसीलदार शिकरणपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार प्रकरण स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में वाकीगण अधिवक्ता

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान बनाम

प्रकरण संख्या/ अन्तर्गत धारा.....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
--------	-----------------------------------

के द्वारा 35000/- रुपए की स्टाम्प ड्यूटी पेश की। पथी डिफ्री निर्णय अनुसार जारी है। पथी डिफ्री की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनाथ प्रेषित है। पत्रावली निर्णय होकर नम्बर से काम होकर वापिल रफ्तार है।




 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्री करणपुर